निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 99 / 2024
दायरा दिनांकः—24.12.2024
निर्णय दिनांकः— 9.4.25

उनवान

1. कैलाश नारायण आयु 72 वर्ष पुत्र मानसिंह जाति गुर्जर निवासी बापचा
2. राजेन्द्रसिंह आयु 66 वर्ष पुत्र मानसिंह जाति गुर्जर निवासी बापचा
3. कुलदीप सिंह आयु 58 वर्ष पुत्र मानसिंह जाति गुर्जर निवासी बापचा
4. महेन्द्रसिंह आयु 42 वर्ष पुत्र मानसिंह जाति गुर्जर निवासी बापचा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. मूलचन्द पुत्र बलदेव जाति महाजन निवासी बापचा तहसील छबडा जिला बारां
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)
3. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, बारां जिला बारां
4. सर्व साधारण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट0

निर्णय दिनांकः— 9.4.25

अभिभाषक उपस्थितः—1. श्री भगवान कृष्ण बलरिया — प्रार्थी

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 212 आर.टी.ए विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि वाके ग्राम बापचा तहसील छबडा जिला बारां राज की भूमि खसरा नं 413 रकबा 2.0485 हैक्टयर, खसरा नं. 414 रकबा 2.7187 हेक्टयर, कुल दो किता कुल 4 7672 हैक्टयर अवस्थित है। जो प्रार्थीगण एवं उनके परिजन के कब्जे काश्त में गत 60—70 वर्षो से शान्तीपूर्वक निरन्तर बिना किसी बाधा के चले आ रहे है। जिसका इन्द्राज जमावन्दी सम्वत 2073—2076 में रेवेन्यू रिकार्ड में मूलचंद पुत्र बल्देव जाति महाजन निवासी बापचा तहसील छबड़ा जिला बारा राज, के नाम पर अंकित है। उक्त भूमि खसरा नं. 413 व 414 पर सेटीलमेन्ट सम्बत् 2012 (सन् 1956) से पूर्व से ही मेरे पक्षकारान एवं उनके पूर्वज स्व. श्री मानसिंह व स्व.श्री कमलसिंह का निरन्तर बिना किसी बाधा के शान्तीपूर्वक कब्जा काश्त चला आ रहा हैं। वर्तमान मे भी प्रार्थीगण उक्त भूमि पर घास की फसल करते हैं। उक्त भूमि के रिकार्डेट खातेदार मूलचंद पुत्र बल्देव जाति महाजन निवासी बापचा तहसील छबडा जिला बारां राज, के नाम, पता का कोई व्यक्ति ग्राम बापचा व आप—पास के क्षेत्र में मोजूद नही हैं। उसका कोई अता—पता व जिवित अथवा मृत्यु की कोई जानकारी वादीगण व अन्य ग्राम वासियान

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

बाधा को उपलब्ध नहीं हैं। उक्त भूमि के रिकार्डेट खातेदार मूलचंद एवं उसके किसी परिजन प्रतिनिधि का उक्त आराजी पर गत 70 वर्षों से आज तक एक क्षण के लिए भी कब्जा काश्त आधिपत्य नहीं रहा। उक्त भूमि में हमेशा से निरन्तर आज तक प्रार्थीगण द्वारा चारा–घास तैयार कर उक्त भूमि का उपयोग किया जा रहा है। प्रार्थीगण की कृषि भूमि खसरा न.412, 415 वाके ग्राम बापचा उक्त विवादीत भूमि के लगवां अवस्थित हैं। जिसके खातेदार मूलचन्द पुत्र बल्देव जाति महाजन निवासी बापचा तहसील छबडा के नाम का कोई भी व्यक्ति मोजूद नहीं है प्रार्थीगण व उनके पिता व दादा का उक्त आराजी पर निरन्तर 70 साल से अधिक बिना किसी बाधा के निरन्तर कब्जा काश्त होने से प्रतिकूल कब्जे के कारण उक्त भूमि पर प्रार्थीगण को स्वतः ही खातेदारी प्राप्त हो जाने पर प्रार्थीगण उसे अपनी खातेदारी मे दर्ज करना चाहते है। उक्त वर्णित आराजी के राजस्व रिकार्ड मे से मूलचंद पुत्र बल्देव जाति महाजन निवासी बापचा तहसील छबडा का नाम हटवाने व प्रार्थीगण अपना नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कराने व खातेदारी की घोषणा के वैधानिक अधिकारी है। प्रार्थीगण एवं उनके पिता का ही उक्त भूमि पर कब्जा होना बताया गत 70 साल से उक्त भूमि पर निरन्तर बिना किसी बाधा के निरन्तर आज तक काबिज चले आ रहे है। इसलिए प्रार्थीगण उक्त भूमि के कानूनन खातेदार कृषक बन चुके हैं। इसलिए प्रार्थीगण उक्त भूमि का खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के कारण अपने हक अधिकार की घोषणा व उक्त भूमि की सुरक्षा एवं उसके शान्तिपूर्वक उपयोग–उपभोग व कब्जे काश्त, में बाधा उत्पन्न ना करने हेतु अप्रार्थीगण व उनके प्रतिनिधियों को द्वारा निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का वैधानिक अधिकारी है। प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की कृषि आराजी भूमि खसरा न.413 रकबा 2. 0485 हैक्टयर, खसरा नं. 414 रकबा 2.7187 हैक्टयर वाके माल बापचा तहसील छबडा जिला बारां राज. में अवस्थित हैं। जो सेटीलमेन्ट सम्बत् 2012 (सन् 1956) मे उक्त भूमि अप्रार्थीगण मूलचन्द के नाम दर्ज हो गयी परन्तु मोके पर मूलचन्द का आज तक कभी–भी कब्जा काश्त नही रहा बल्की प्रार्थीगण ही उक्त भूमि पर काबिज चले आ रहे है। इसलिए प्रार्थीगण अपना नाम राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदार दर्ज कराने की घोषणा के वैधानिक अधिकारी है। दिनांक 30.11.2024 को अज्ञात 4–5 व्यक्ति एवं छबडा के कुछ प्रोपर्टी डिलर/भू माफिया, आपराधिक लोग जिन्हें बिना कब्जे वाली केवल मात्र खातेदारी की भूमि कम किमत में लेना चाहते हैं इसलिए वह अज्ञात लोग प्रार्थीगण के कब्जे काश्त वाली उक्त विवादीत भूमि पर आऐ व उक्त भूमि पर प्रार्थीगण के कृषि मजदूर जो चारा काट रहे थे उनसे गाली–गलोच कर मारपीट पर आमादा हुऐ। उक्त लोगो ने विवादीत भूमि पर भविष्य मे जबरन कब्जा करने की धमकी दी। इसलिए प्रार्थीगण को आशंका उत्पन्न हो गयी कि किसी भी समय उनके कब्जे काश्त की भूमि पर अकारण विवाद उत्पन्न होकर कोई भी अप्रिय घटना घटीत हो सकती है। इसलिए वाद प्रस्तुत करना अतिआवश्यक हो गया। वाद कारण दिनांक 30.11.2024 को अज्ञात 4–5 व्यक्ति एवं छबडा के कुछ प्रोपर्टी डिलर / भू माफिया, आपराधिक प्रवृति के लोग जिन्हें बिना कब्जे वाली केवल मात्र खातेदारी की भूमि कम किमत में लेना चाहते हैं इसलिए वह अज्ञात लोग प्रार्थीगण के कब्जे काश्त वाली उक्त विवादीत भूमि पर आऐ व उक्त भूमि पर प्रार्थीगण के कृषि मजदूर जो चारा काट रहे थे उनसे गाली–गलोच कर मारपीट पर आमादा होने एवं उक्त लोगो ने विवादीत भूमि पर भविष्य मे जबरन कब्जा करने की धमकी देने पर उत्पन्न हुआ। वादीगण काश्तकार व्यक्ति है उक्त कृषि भूमि ही उनकी आय का श्रोत है यदि वादी को विवादीत से बेदखल कर दिया तो वादीगण को अपरिमित क्षति होगी। जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी तरह सम्भव नही इसलिए वादीगण प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का भी

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

जानकारी है। विवादीत भूमि खसरा न.413 414 के खातेदार मूलचन्द पुत्र बल्देव जाति महाजन निवासी बापचा तहसील छबंडा जिला बारां राज. होने से उसे आवश्यक पक्षकार अप्रार्थी न. 1 बनाया गया। तथा उक्त मूलचन्द के नाम पता का कोई भी व्यक्ति मोजूद नही है उसका कोई अता–पता नही हैं इसलिए यदि कोई वारिस, कायममुकाम हितबद्व व्यक्ति हो तो उसके लिए आवश्यक पक्षकार अप्रार्थी न.4 सर्व साधारण बनाया गया। एवं राजस्थान सरकार भूमि धारक होने उनके प्रतिनिधि श्रीमान् जिला कलेक्टर बारां जिला बारां राज. व एवं राजस्व रिकार्ड मे इन्द्राज आदि का कार्य राजस्थान सरकार की ओर से तहसीलदार सा. छबडा सम्पन्न किया जाता हैं। इसलिए इन्हें इस वाद मे आवश्यक आवश्यक पक्षकार अप्रार्थी न 2 व 3 बनाया गया। यदि अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही गई तो अप्रार्थीगण उक्त आराजी का अन्तरण कर अथवा बलपूर्वक प्रार्थी को बेदखल कर देगें। जिससे प्रार्थी को अपरिमित क्षति होगी जिसकी आपूर्ति असम्भव है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी की तलवी जर्ये अखबार के माध्यम से करवाई गई। अप्रार्थी न्यायालय में उपस्थित नही होने पर अप्रार्थी के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रार्थीगण द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम बापचा सम्वत् 2073–76 खाता संख्या 324 नकल खसरा गिरदावरी सम्वत् 2080 नकल जमाबन्दी ग्राम बापचा सम्वत् 2012–15 नकल नक्शा ट्रेस ग्राम बापचा नकल जमाबन्दी ग्राम बापचा सम्वत् 2028–31 पेश की गई।

तहसीलदार छबडा से रिपोर्ट ली गई। रिपोर्ट में बताया कि ग्राम बापचा के खसरा नम्बर 413 एवं 414 की स्थिति एवं बिन्दुवार इस प्रकार है कि उक्त खसरों पर किसी के भी द्वारा काश्त नही की जा रही है लेकिन ग्राम वासियों ने बताया गया कि उक्त खसरे पास–लगे खसरों के खातेदारान के कब्जे में है जो निम्न है कुलदीप, राजेन्द्रसिंह, कैलाश नारायण पुत्र मानसिंह एवं महेन्द्र सिंह पुत्र कमलसिंह जाति गुर्जर की बीडे है मौका स्थिति एवं राजस्व रिकार्ड के अनुसार अलग–अलग व्यक्ति है विवादित अराजी के खातेदार ग्राम वासियों ने बताया गया कि पहले बापचा में रहता था लेकिन वर्तमान में कहां निवासरत है उनकी जमाबन्दी नही दे पायें। उक्त खसरों पर किसी भी तरह का राजस्व रिकार्ड में स्थगन या अन्य प्रकार का कोई विवाद नही है एवं मौके पर घास एवं पत्थर पडे हुए है।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम बापचा तहसील छबडा में स्थित है। जो प्रार्थीगण एवं उनके परिजानों के कब्जे काश्त में चली आ रही है जिसका इन्द्राज राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में मूलचन्द पुत्र बल्देव महाजन निवासी बापचा के नाम दर्ज है खातेदार मूलचन्द पुत्र बल्देव जाति महाजन निवासी बापचा के नाम का कोई व्यक्ति ग्राम बापचा व आस पास के क्षैत्र में मौजुद नही है मूलचन्द का कोई अता पता नही है जीवित व मृत्यु की भी कोई जानकारी नही है प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 412,415 के लगवा स्थित है मूलचन्द नाम का व्यक्ति कोई मौजुद नही है विवादित आराजी पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा है अपराधिक प्रवृति के कुछ लोग विवादित भूमि को बिना कब्जे वाली को कम कीमत में

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

चाहतें है यदि प्रार्थी के कब्जे की भूमि को अन्य लोगो द्वारा कब्जा कर लिया जो प्रार्थीगण को अपरिमित क्षति होगी। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें। तथा मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति का आदेश फरमाया जावें।

बहस अभिभाषक प्रार्थीगण सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम बापचा तहसील छबडा सम्वत् 2073–76 खाता संख्या 324 में मूलचन्द पुत्र बल्देव महाजन का नाम दर्ज है नकल जमाबन्दी ग्राम बापचा सम्वत् 2028–31 में मूलचन्द पुत्र बल्देव जाति महाजन का नाम दर्ज है इससे यह साबित होता है कि विवादित आराजी मूलचन्द पुत्र बल्देव के खातेदारी में है तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर खसरा नम्बर 413,414 के लगवा कैलाश नारायण व कुलदीप महेन्द्रसिंह एवं राजेन्द्र सिंह की भूमि है विवादित आराजी पर पडौसी खातेदारों का कब्जा काश्त है खातेदार मूलचन्द ग्राम बापचा मे निवास नही करना बताया है तथा वर्तमान में वह कहां निवास करता है उसकी जानकारी ग्राम वासियों द्वारा नही बताई गई। प्रकरण में खातेदार मूलचन्द के खातेदारी अधिकारों का अवसान हुआ है या नही ? प्रार्थीगण विवादित आराजी में खातेदारी अधिकर प्राप्त करने में पात्र है या नही ? इन प्रश्नों का निस्तारण मूल वाद में किया जायेगा परन्तु वर्तमान में विवादित आराजी को खुर्द-बुर्द होने से रोका जाना आवश्यक है इसलिए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थीगण का प्रार्थना स्वीकार किया जाता है अप्रार्थी क्रम 1 को मूल वाद के निर्णय तक जर्ये अस्थायी निषेधाज्ञा पावन्द किया जाता है कि विवादित आराजी वाके ग्राम बापचा तहसील छबडा के खसरा नम्बर 413 रकबा 2.0485 है0 खसरा नम्बर 414 रकबा 2.7187 है0 पर राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनायें रखें।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
आर ए एस
छबडा (बारां)
उपखण्ड अधिकारी, छबडा